12.9.2023

वकील मदीलाल एवं रेस्पो: सं. 3, 4 के वकील उपस्थित। वकील मदीलाल द्वारा रेस्पो. सं. 1, 2, 5 की तलबी अदिये यदि. AO कमल के नहीं करवायी गई है। मदीलाल को रेस्पो: की तलबी हेतु समय अवधि दिये गए, लेकिन वकील मदीलाल द्वारा आज दिनांक तक रेस्पो: सं. 1, 2, 5 की तलबी अदिये यदि. AO कमल के नहीं करवायी है। अतः उक्त रेस्पो: की तलबी नहीं करवाने के मदीलाल आ. 9 नि. सं. CPC की पालना के अभाव में अपील की जाती है, पत्रावली नम्बर के कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़